# प्रेस विज्ञप्ति

जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर–देहात के आदेशानुसार दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर(कानपुर–देहात) के परिसर में स्थित जलपान गृह एवं स्टेशनरी, फोटोकापी एवं टाइपिंग शाप की एक–एक दुकान कुल तीन दुकानों की नीलामी कार्यवाही दिनांक २६.०५.२०१५ को सायंकाल ४.०० बजे दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात) में सम्पन्न होगी।

उपरोक्त जलपान गृह एवं स्टेशनरी, फोटोकापी एवं टाइपिंग शाप की एक–एक दुकाने कुल तीन दुकानों की नीलामी की संविदा को उपयुक्त पात्र व्यक्ति नियमानुसार पूर्ण कर भाग ले सकते है। वे नीलामी की शर्ते केन्द्रीय केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, रमाबाई नगर(कानपुर–देहात) के कार्यालय अथवा नजारत की सूचना पट से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः १०.०० से ५.०० बजे तक अवलोकित कर सकते है।

इसके साथ ही नीलामी की सूचना तथा शर्ते जनपद न्यायालय, कानपुर–देहात के वेबसाइट ecourts.gov.in/kanpurdehat पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से,

कृते जनपद न्यायाधीश,
रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)

## नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, रमाबाई नगर के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर(कानपुर-देहात) के परिसर में स्थित जलपान गृह एवं तीन दुकानों के नीलामी हेतु प्रक्रिया वित्तीय वर्ष २०१५-१६ हेतु दिनांक २६.०५.२०१५ को समय ४.०० बजे दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर (कानपुर-देहात) में सम्पन्न होगी।

नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त १-जलपान गृह, २-स्टेशनरी शाप, ३-फोटोकापी शाप एवं ४-टाइपिंग शाप की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण कर नीलामी प्रक्रिया में खुली बोली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते है-

## नीलामी की शर्तें व नियम

१- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाणपत्र केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर(कानपुर-देहात) को प्रस्तुत करना होगा।

२- दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर(कानपुर-देहात) के परिसर में जलपान गृह, स्टेशनरी शाप, फोटोकापी शाप और टाइपिंग शाप की न्यूनतम बोली-

(1) **जलपान गृहः-** न्यूनतम बोली ३,४८,४८०/- निर्धारित की गयी है

स्टेशनरी शाप, फोटोकापी शाप एवं टाइपिंग शाप लाइसेंस के आधार पर दी जायेगी तथा इन दुकानों का किराया मासिक दर से देय होगा।

(2)**स्टेशनरी शापः-** न्यूनतम बोली १,०५,६००/-

(3)**फोटोकापी शापः-** न्यूनतम बोली १,९३,६००/-

(4)**टाइपिंग शापः-** न्यूनतम बोली ९२,४००/- निर्धारित की गयी है।

३- नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने से पूर्व न्यूनतम धनराशि की १० प्रतिशत धनराशि नजारत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करनी होगी।

४- स्टेशनरी शाप, फोटोकापी शाप एवं टाइपिंग शाप हेतु कुल वार्षिक धनराशि का ५० प्रतिशत नीलामी स्वीकृत किये जाने की दशा में नीलामी स्वीकृत किये जाने की तिथि से १५ दिन के अन्दर देय होगी जो किराये की धनराशि एवं अन्य मद में समायोजित की जायेगी।

५- नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर(कानपुर-देहात) में नहीं होना चाहिए।

६- जलपान गृह हेतु उच्चतम बोली स्वीकार किए जाने की दशा में स्वीकृत बोली की १/४ धनराशि तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि एक माह के अन्दर जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की दशा में उसकी जमानत धनराशि राज्यसरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।

७- उच्चतम बोली वाले व्यक्ति की नीलामी स्वीकार की जायेगी परन्तु जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर-देहात को यह अधिकार होगा कि वे कोई कारण बताये बिना, उच्चतम बोली

को स्वीकार न करें।

८- नीलामी की अन्तिम स्वीकृति जनपद न्यायाधीश महोदय, रमाबाई नगर (कानपुर-देहात) द्वारा की जायेगी।

९. जनपद न्यायाधीश महोदय, रमाबाई नगर (कानपुर-देहात) को यह अधिकार होगा कि समुचित कारणों के आधार पर नीलामी को निरस्त अथवा स्थगित कर दें। इस सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश महोदय, रमाबाई नगर (कानपुर-देहात) का निर्णय अन्तिम होगा।

१०- उपरोक्त दुकान के उपयोग की अवधि दिनांक ३१.०३.२०१६ को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा दुकान का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर(कानपुर-देहात) को हस्तगत किया जायेगा।